


# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1248, 1249 1250 व 1251 / 2015.....जिला.....करौली.....

उनवान – मैसर्स कैदारनाथ घासीलाल, हिन्दौनसिटी बनाम् अपीलीय प्राधिकारी व सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21 / 09 / 2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u>  <u>श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष</u>  <u>श्री ईश्वरीलाल वर्मा, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अभिषेक अजमेरा एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरना उपस्थित।</p> <p>उक्त चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर भरतपुर के द्वारा स्थगन नम्बर 85, 86 87 व 88 में पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 07.08.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मांग राशि क्रमशः रु0 13,80,060/-, रु0 9,93,098/- रु0 28,36,442/- व रु0 6,96,606/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी ने प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये कोई कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमर्जी से मांग राशियां कायम कर दी हैं। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को तथा कानूनी प्राधानों के विपरीत जाकर मनमर्जी के आदेश पारित कर, करारोपण कर दिया है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग राशियां रु0 13,80,060/-, रु0 9,93,098/- रु0 28,36,442/- व रु0 6,96,606/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध बकाया विवादित मांग रु0 13,80,060/-, रु0 9,93,098/- रु0 28,36,442/- व रु0 6,96,606/- की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक, रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणवगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">           (ईश्वरीलाल वर्मा)          सदस्य     </p> <p style="text-align: right;">         -३६८          (बी. के. मीणा)          अध्यक्ष     </p>	